अनुदान संख्या 79 – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
GRANT No. 79–MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*40,00*	*50,00*	*22,26*	*–27,74*
पूरक	*Supplementary*	*10,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*15,00*
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	5375,75,00	5458,20,00	5030,89,48	–427,30,52
पूरक	Supplementary	82,45,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				21,94,46
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*5,40,00*	*64,30*	*–4,75,70*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	7232,95,00	7232,96,00	5392,70,73	–1840,25,27
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1183,80,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (27.74 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए *10.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 55 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*Rs.27.74 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.10.00 lakhs* obtained in March, 2005 and constituted 55 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*40.00*			
पू.	*S.*	*10.00*	*35.00*	*22.26*	*–12.74*
पु.	*R.*	*–15.00*			

(I) "योजनेतर अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क निमार्ण कार्य" के अंतर्गत *40.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *10.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *50.00 लाख रु.* कर दिया गया। तथापि, *27.74 लाख रु.* की बचत (पूरक *विनियोग* सहित) प्रत्याशित मोटर दुर्घटना प्रतिपूर्ति अधिकरण के अधिनिर्णय को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Non-Plan Grants – Strategic and Border Roads – Road Works – Road Works under BRDB" – the original *appropriation* of *Rs.40.00 lakhs* was augmented to *Rs.50.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.10.00 lakhs*. However, there was a saving of *Rs.27.74 lakhs* (including supplementary *appropriation*) - due to non-materialisation of expected Motor Accidents Compensation Tribunal's awards.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (42730.52 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 8245.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.42730.52 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.8245.00 lakhs obtained in March, 2005 and constituted 8 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	4398.00	3983.25	3832.69	–150.56
पु.	R.	–414.75			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	400.00				
				. .	. .	. .
पु.	R.	–400.00				
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges					
मू.	O.	372765.00				
पू.	S.	2903.00		374748.29	367716.88	–7031.41
पु.	R.	–919.71				
मुख्य शीर्ष "3055" सड़क परिवहन	Major Head "3055" Road Transport					
मू.	O.	4200.00				
				3940.00	3609.42	–330.58
पु.	R.	–260.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	152712.00				
पू.	S.	5342.00		157854.00	127766.54	–30087.46
पु.	R.	–200.00				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			3100.00	163.95	–2936.05

(I) 3298.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तीन मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान'' - 400.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्ष से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3602'' -

(क) ''संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - दिल्ली में सड़कें'' - 2498.00 लाख रु.; और

(ख) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान-केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें'' - 400.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त किए जाने और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''3054'' - ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - अन्य व्यय - भूटान प्रतिपूर्ति भत्ता'' के अंतर्गत 229.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 17.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 246.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 23.42 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) भूटान प्रतिपूर्ति भत्ता क्षेत्र में पूर्णतया अपेक्षा के अनुसार और निचले वेतनमान के वेतन श्रेणी में कार्मिकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय'' के अंतर्गत 565.31 लाख रु. की बचत (4398.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति को स्वीकृति प्रदान न किए जाने और दैनिकभोगी मजदूरों को कम काम पर लगाए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3054'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Provision of Rs.3298.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" – "Other Expenditure– Lump sum provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – Rs.400.00 lakhs – due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from the concerned functional head.

(B) Major Head "3602" -

(a) "Grants for Union Territory Plan Schemes – Grants from Central Road Fund – Roads in Delhi" – Rs.2498.00 lakhs; and

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Grants from Central Road Fund – Roads of Inter-State or Economic Importance" – Rs.400.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to receipt of less proposals and non-submission of utilisation certificates from Union Territory Governments.

(II) Under Major Head "3054" – "Strategic and Border Roads – Other Expenditure – Bhutan Compensatory Allowance" – the original provision of Rs.229.00 lakhs was augmented to Rs.246.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.17.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.23.42 lakhs (including supplementary grant) due to restriction of personnel posted in Bhutan Compensatory Allowance area strictly as per requirement and pay range of lower scale.

(III) Under Major Head "3451" – "Secretariat– Ministry of Road Transport and Highways" – saving of Rs.565.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4398.00 lakhs) was due to non-sanction of Information Technology procurement and less engagement of daily wagers.

(IV) Under Major Head "3054" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''राष्ट्रीय राजमार्ग'' -

(क) ''राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देय शुल्क के संग्रहण की लागत'' - 128.35 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रत्याशा की तुलना में कम दावे प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''सड़क निर्माण कार्य'' -

(i) ''सड़क स्कंध द्वारा रखरखाव'' - 6259.12 लाख रु. की बचत (72856.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समय पर साख पत्र जारी न किए जाने और साथ ही अंतिम तिमाही में व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण भी हुई।

(ii) ''सीमा सड़क स्कंध द्वारा रखरखाव'' - 393.52 लाख रु. की बचत (1700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से रक्षा लेखा महानियंत्रक के रक्षा लेखा परीक्षा विभाग से केंद्रीय रूप से प्रदत्त वाउचरों के समायोजन के लिए उनके समय पर प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान'' - 345.36 लाख रु. की बचत (547.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त किए जाने और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''सामान्य - अनुसंधान और विकास - राजमार्ग अनुसंधान'' - 828.58 लाख रु. की बचत (890.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी एवं प्रशासनिक कारणों और कम संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3055'' - ''अनुसंधान - सड़क सुरक्षा'' के अंतर्गत 534.56 लाख रु. की बचत (3320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार से कम प्रस्ताव प्राप्त किए जाने और ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए बिलों/अंतिम की गई कार्रवाई और क्रेनों आदि के लिए अन्य बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "National Highways" -

(a) "National Highways Permanent Bridges – Cost of Collection of Fees Payable to States/UTs" – saving of Rs.128.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to receipt of less claims from State Governments than anticipated.

(b) "Road Works"-

(i) "Maintenance By Roads Wing" – saving of Rs.6259.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.72856.00 lakhs) was due to non-issuance of Letter of Credit in time and also due to restriction of expenditure in the last quarter.

(ii) "Maintenance by Border Roads Wing" – saving of Rs.393.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1700.00 lakhs) was due to non-receipt of Centrally Paid Vouchers in time for their adjustment from Defence Audit Department of Controller General of Defence Accounts through Director General of Supply and Disposal.

(B) "District and Other Roads – Road Works– Grants from Central Road Fund to U.T. Governments without legislature" – saving of Rs.345.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.547.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and non-submission of utilisation certificates from Union Territory Governments.

(C) "General – Research and Development – Highway Research" – saving of Rs.828.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.890.00 lakhs) was due to technical and administrative reasons and conducting of less number of training programmes.

(V) Under Major Head "3055" – "Research – Road Safety" – saving of Rs.534.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3320.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Government and non-receipt of bills/final action taken for Driver's training and other bills as for cranes, etc.

(VI) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''योजनेतर अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - हवाई ढुलाई प्रभार'' - 490.35 लाख रु. की बचत (1053.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वायुसेना द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार हवाई ढुलाई की उपलब्धता न होने के कारण हुई।

(खा) ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - राज्य सड़क के लिए अनुदान'' - 23179.42 लाख रु. की बचत (83553.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं; और

(गा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़क'' - 7512.17 लाख रु. की बचत (9200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्ताव प्राप्त होने और राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(घा) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सड़क परिवहन अनुसंधान और प्रशिक्षण - सड़क सुरक्षा और प्रदूषण परीक्षण''- 190.00 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत 81.57 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 68 प्रतिशत थी।

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष ''3054'' - ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - अन्य व्यय - सड़क निर्माण कार्य'' - 113.98 लाख रु. का अधिक व्यय (880.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2309.75 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाढ़ से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत की आवश्यकता को पूरा किए जाने और कुछ सीमावर्ती राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग स्ट्रेच पर बढ़ा हुआ पुन: सतहीकरण कार्य किए जाने के कारण हुआ।

(VI) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Non-Plan Grants – Strategic and Border Roads – Road Works – Air Lift Charges" – saving of Rs.490.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1053.00 lakhs) was due to non-availability of Air Lifts as planned from the Air Force.

(B) "Grants for State Plan Schemes – Grants from Central Road Fund – Grants for State Road"– saving of Rs.23179.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.83553.00 lakhs); and

(C) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Grants from Central Road Fund – Road of Inter-State or Economic Importance" – saving of Rs.7512.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals and non-submission of utilisation certificates from State Governments.

(D) "Grants for Central Plan Schemes – Road Transport Research and Training – Road Safety and Pollution Testing" – saving of Rs.190.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to receipt of less claims from State Governments than anticipated.

(VII) Under one head saving of Rs.81.57 lakhs occurred constituting 68 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "3054" – "Strategic and Border Roads – Other Expenditure – Road Work"– excess of Rs.113.98 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2309.75 lakhs including supplementary grant of Rs.880.00 lakhs) was due to meeting the requirement on repairs of the flood damaged National Highways and increased resurfacing on National Highways Stretches in certain border states.

(II) मुख्य शीर्ष - ''3601'' -

(का) ''योजनेतर अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सड़क रख - रखाव'' - 580.00 लाख रु. का अधिक व्यय (142.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 16222.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़े हुए रख-रखाव और सीमावर्ती राज्यों में पुन:सतहीकरण लक्ष्यों को पूरा किए जाने और सुरक्षा आवरण पर बढ़ा हुआ व्यय होने के कारण हुआ।

(खा) ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य'' - 400.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा सड़क महानिदेशक द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों पर अतिरिक्त लक्ष्यों को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(II) Major Head "3601" -

(A) "Non-Plan Grants – Strategic and Border Roads – Road Works – Road Maintenance" – excess of Rs.580.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.16222.00 lakhs including supplementary grant of Rs.142.00 lakhs) was due to meeting increased maintenance and resurfacing targets in border states and due to the augmented expenditure on security cover.

(B) "Grants for Central Plan Schemes – Strategic and Border Roads – Road Works – Road Works under BRDB" – excess of Rs.400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1550.00 lakhs) was due to meeting additional targets on Strategic Roads in North Eastern Region by the Director General Border Road.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''5054'' सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges	*540.00*	*64.30*	*–475.70*

(I) ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य'' के अंतर्गत *497.15 लाख रु.* की बचत (*500.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) प्रत्याशा के अनुसार कुछ न्यायालयों के अधिमत के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/ अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(I) Under "National Highways – Road Works– Works under Roads Wing" – saving of *Rs.497.15 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.500.00 lakhs*) was due to non-materialisation of some Court verdicts as anticipated.

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	26070.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–26070.00			
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	633025.00			
पू.	S.	1.00	564916.00	503220.73	–61695.27
पु.	R.	–68110.00			
मुख्य शीर्ष "7075" अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज	Major Head "7075" Loans for Other Transport Services				
मू.	O.	64200.00	40000.00	36050.00	–3950.00
पु.	R.	–24200.00			

(I) 26070.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552"- "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.26070.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" – "Other Expenditure – Lumpsum provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes of the North Eastern region from the concerned functional heads.

(II) मुख्य शीर्ष "5054" - "राष्ट्रीय राजमार्ग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(II) Under Major Head "5054" – "National Highways" – savings occurred under the following heads:-

(का) "स्थायी पुल - राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित कार्य" - 7003.52 लाख रु. की बचत (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त किए जाने और राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Permanent Bridges – Work Financed from National Highways Permanent Bridges Fees Fund"– saving of Rs.7003.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and non-submission of utilisation certificates from State Governments.

(खा) ''सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य'' - 143210.72 लाख रु. की बचत (मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 401921.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पश्चिम बंगाल कारीडोर परियोजना पर कार्य में विलंब होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई ।

(III) मुख्य शीर्ष ''7075'' - ''सड़क तथा सेतु - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (बाह्य सहायता प्राप्त स्कीमें)'' के अंतर्गत 28150.00 लाख रु. की बचत (64200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

6. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''5054'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(का) ''राष्ट्रीय राजमार्ग - मशीनरी तथा उपस्कर - मशीनरी तथा उपस्कर'' - 222.33 लाख रु. का अधिक व्यय (50.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्ष का निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य'' - 20186.64 लाख रु. का अधिक व्यय (37255.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्ष को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और साथ ही न्यायालय के अधिमत के अनुसार वास्तविक व्यय को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

7. ***केन्द्रीय सड़क निधि:-***

इस निधि का वित्तपोषण कर लगाए गए मोटर स्पिरिट (विमानन स्पिरिट को छोड़कर) पर लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क से प्राप्त आय के एक भाग (3.5 पैसे प्रति लिटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 2000-01 के बजट प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और

(B) "Road Works – Works under Roads Wing"– saving of Rs.143210.72 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.401921.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2005) was due to delay in work on the West Bengal Corridor Project and reduction of provision at revised estimates stage.

(III) Under Major Head "7075" – "Roads and Bridges – Loans to Public Sector and Other Undertakings – National Highways Authority of India (externally aided schemes)" – saving of Rs.28150.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.64200.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

6. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5054" - under the following heads:-

(A) "National Highways – Machinery and Equipment – Machinery and Equipment" – excess of Rs.222.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional head for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region including Sikkim.

(B) "Strategic and Border Roads – Road Works – Works under BRDB" – excess of Rs.20186.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.37255.00 lakhs) due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional head for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region including Sikkim and also to meet the actual expenditure as per Court verdicts.

7. ***Central Road Fund:-***

The fund is financed from part (3.5 paise per liter) of the proceeds of Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of grants voted by Parliament. As per the budgetary provision of 2000-2001 an additional tax of Rs.1/- per litre

रख-रखाव के लिए 2 जून, 1998 से पेट्रोल पर और 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीड डीजल पर 1/- रु. प्रति लिटर का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। यह अतिरिक्त निधि पुनर्संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरित की जाती है और इस निधि के संकल्प के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास और अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को यह निधि जारी की जाती है।

has been levied on Petrol with effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads. The additional fund is transferred to Central Road Fund in accordance with revamped Central Road Fund Act, 2000 and releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund.

वर्ष 2004-2005 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था :-

The Account of the Fund for 2004-2005 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	2955,10,22
प्राप्तियां	Receipts	2812,01,64
अदायगियां	Payments	2472,27,00
अंतशेष	Closing Balance	3294,84,86

8. ***राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि:-***

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी पुलों जिनकी प्रत्येक की लागत 25.00 लाख रु. से अधिक और 100.00 लाख रु. तक है और जो 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने 100.00 लाख रु. से अधिक की लागत वाले सभी पुलों पर लगाए जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में ''राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि'' को अंतरित कर दिया जाता है । संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों द्वारा निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

8. ***National Highways Permanent Bridges Fees Fund:-***

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than Rs.25.00 lakhs and upto Rs.100.00 lakhs for each and were built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and there after all the bridges costing more than Rs.100.00 lakhs on National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments are initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the “National Highways Permanent Bridges Fees Fund” in the Public Account of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilised for development of National Highways.

वर्ष 2004-2005 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2004-2005 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	205,45,31
प्राप्तियां	Receipts	80,00,00
अदायगियां	Payments	20,18,13
अंतशेष	Closing Balance	265,27,18